

**अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 17000 /- (सत्रह हजार रुपये ) रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -**

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवालीनगर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 17000 /- (सत्रह हजार रुपये ) पीड़िता सुरेंद्र प्रसाद मौर्य थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की कुल 17000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

**फेसबुक मैसेन्जर के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 50,000 /- (पच्चास हजार रुपये ) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -**

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये दोस्त बनकर फेसबुक मैसेन्जर के माध्यम से विदेश में फसे होने का फर्जी कहानी बताकर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 50,000 /- (पच्चास हजार रुपये ) पीड़िता आवेदिका रूखसाना फिरदौस पत्नी मो० शाहीद निवासी ग्राम भदसामानोपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ की कुल 50,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 21.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 45 टीम गठित कर जनपद के 52 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1400 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 218 वाहनों को विभिन्न धारोओ में चालान एवं 01 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

### **01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अबैध देशी (शराब 50 पाउच) बरामद -**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पूर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी महोदय मु0बाद गोहना जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.04.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दौराने चेकिंग खोखन के खेत ग्राम भीरी से मु0अ0सं0 120/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम से संबंधि गिरफ्तार शुदा 01 नफर अभियुक्त शिवचन्द्र यादव पुत्र शिवपुजन यादव निवासी दौलसेपुर थाना रानीपुर गोहना जनपद मऊ के कब्जे से 25 अदद पाउच अबैध देशी शराब (बन्टी बबली 22 व 3 अदद बिल्लो रानी पैक) प्रत्येक 200 ML के साथ गिफ्तार हुआ जिसको जमानत मुचलिका पर छोड़ा गया ।

### **अभियुक्त का विवरण-**

1. शिवचन्द्र यादव पुत्र शिवपुजन यादव निवासी दौलसेपुर थाना रानीपुर गोहना जनपद मऊ

### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 120/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम

**1. आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹1000 अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट / अपर सिविल जज (जू. डी.) कोर्ट नं. 2 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 02-04-2026 को मु0अ0सं0 124/1998 धारा 380,411 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त रामध्यान यादव पुत्र धुरपति निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹1000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा ।

**2. आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त ₹ 900 अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट / अपर सिविल जज (जू. डी.) कोर्ट नं. 2 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 02-04-2026 को मु0अ0सं0 11/1999 धारा 323,324,504 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त दयाशंकर सिंह पुत्र रामआधार सिंह निवासी मनडुसरा बुजुनी थाना रानीपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए ₹900 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

**1. आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2500 अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय एसीजेएम एसडी कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 21-04-2026 को मु0अ0सं0 108/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त राम शरीफ पुत्र पूर्णमासी निवासी टमथा थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹2500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।